

9/8/23

// आदेश-पत्रिका //

न्यायालय लोक अदालत खंडपीठ क्र. खंडवा / हरसूद / पुनासा
जिला-पूर्व निमाड़, खंडवा (म.प्र.)



Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	(परक्राम्य लिखत अधिनियम अन्तर्गत आदेश पत्रिका) प्रकरण क्रमांक <u>606/22</u> यह प्रकरण श्री <u>Amal</u> के न्यायालय से लोक अदालत में प्रेषित किया गया है। प्रकरण आज दिनांक _____ को लोक अदालत में खंडपीठ के समक्ष निराकरण हेतु लिया गया। परिवादी ने अभियुक्त / गण से राजीनामा हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 147 परक्राम्य लिखत अधिनियम पेश किया। आवेदन पत्र का आधार यह है कि अभियुक्त/गण ने चैक राशि का भुगतान कर दिया है, इसलिये परिवादी राजीनामा करना चाहता है। उसने स्वेच्छया बिना किसी डर या दबाव के राजीनामा करना बताया है। उसकी पहचान श्री <u>Rajwade</u> अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः उक्त आवेदन पत्र स्वीकृत करते हुये अभियुक्त / गण को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम आपराधिक प्रकरणों की नियमित पंजी में अंकित कर, प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।	<u>Amal</u>

सदस्य

सदस्य

पीठासीन अधिकारी

13/08/23